

शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

पात्रता:- म.प्र. श्रम कल्याण मंडल द्वारा वर्ष 2008 से प्रतिवर्ष प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों एवं स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र / पुत्रियों को जो म.प्र. में स्नातक एवं उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत हैं छात्र/छात्रा द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर अन्य किसी विभाग से छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त न होने की स्थिति में इस योजना का लाभ दिया जाता है। उक्त योजना लोक सेवा प्रदाय की गारंटी स्कीम 2010 में दिनांक 22-12-2022 से सेवा क्रमांक 2.44 शामिल है।

आवश्यक दस्तावेज (छायाप्रतियां) :-

- निर्धारित प्रारूप में आवेदन
- विगत वर्ष की अंकसूची
- पासपोर्ट साइज फोटो
- छात्र/छात्रा का आधार पत्र
- बैंक पास बुक, प्रथम पृष्ठ
- संस्थान/स्थापना तथा शैक्षणिक संस्थान के प्रमाणीकरण।

स्वीकृतकर्ता अधिकारी- मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी जो जनसंपर्क अधिकारी, अभिदाय वसूली अधिकारी, कल्याण अधिकारी, कल्याण पर्यवेक्षक, कल्याण निरीक्षक इस योजना में पदाभिहित अधिकारी नियुक्त है।

वितरित की जाने वाली कक्षावार छात्रवृत्ति राशि :-

| क्रं. | कक्षा | प्रतिवर्ष देय राशि | पात्रता |
|-------|--|--------------------|--|
| 1 | GENERAL Graduate (BA,B.Com, B.Sc, BBA) | 10000 | प्राप्तांक 70% से अधिक तथा विगत परीक्षा एवं वर्तमान परीक्षा के मध्य बैक (गैप) नहीं होना चाहिए। |
| 2 | ENGINEERING (BE/Btech) | 15000 | प्राप्तांक 70% से अधिक तथा विगत परीक्षा एवं वर्तमान परीक्षा के मध्य बैक(गैप) नहीं होना चाहिए। |
| 3 | MBBS/BDS | 25000 | प्राप्तांक 60% से अधिक तथा विगत परीक्षा एवं वर्तमान परीक्षा के मध्य बैक(गैप) नहीं होना चाहिए। |
| 4 | Pharmacy,Ayurvedic, Homeopathic (UG,PG, Diploma) | 12500 | प्राप्तांक 60% से अधिक तथा विगत परीक्षा एवं वर्तमान परीक्षा के मध्य बैक(गैप) नहीं होना चाहिए। |
| 5 | Law Courses | 10000 | प्राप्तांक 70% से अधिक तथा विगत परीक्षा एवं वर्तमान परीक्षा के मध्य बैक(गैप) नहीं होना चाहिए। |
| 6 | GENERAL PG Courses (MA, MCom, M.Sc, MBA) | 10000 | प्राप्तांक 70% से अधिक तथा विगत परीक्षा एवं वर्तमान परीक्षा के मध्य बैक(गैप) नहीं होना चाहिए। |
| 7 | ME/M.Tech | 11500 | प्राप्तांक 70% से अधिक तथा विगत परीक्षा एवं वर्तमान परीक्षा के मध्य बैक(गैप) नहीं होना चाहिए। |